RAJBIL/2000/1717

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 11, सोमवार, शाके 1924–अप्रेल 1, 2002
Chaitra 11, Monday, Saka 1924–April 1, 2002

सत्यमेव जयते

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

विधि (प्रकोष्ठ-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 21, 2002

जी.एस.आर. 3-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये 5 अक्टूबर, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन - राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 से संलग्न अनुसूची में शीर्षक "क-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" के अधीन विद्यमान क्र.सं. 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"4.	निजी सहायक	1640-2900	1
4-क.	आशुलिपिक	1400-2600	2"

[संख्या प. 8(4) विधि-2/2000]

राज्यपाल के आदेश से,

जी.एल. चौधरी

शासन सचिव

❖ ❖ ❖